

प्रेस नोट थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 05.08.2026

विश्वासघात का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से पीली धातु का टुकड़ा (04.43 ग्राम) बरामद

अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पयरगंज के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक पीपीगंज के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 148/26 धारा 316(2) भा0न्या0सं0 से संबंधित अभियुक्त ददासो हक्के पुत्र हिंदूराव हक्के को 01 अदद पीली धातु के टुकड़े (वजन 04.43 ग्राम) के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) भा0न्या0सं0 की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

अभियुक्त द्वारा सोना गलाने का काम किया जाता था, जिसके कारण वादी से परिचय था। दिनांक 02.05.2026 को अभियुक्त द्वारा वादी के दुकान पर जाकर कहा गया कि दुकान पर रिश्तेदार व ग्राहक आए है, उन्हें सामान दिखाना है और बेचने के बाद बचा हुआ आभूषण वापस कर देगा तथा हिसाब कर देगा। इस बहाने आभूषण लेकर अभियुक्त दुकान छोड़कर फरार हो गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

ददासोहक्के पुत्र हिंदूराव हक्के निवासी गरजेवाड़ी थाना कवठेमहाकाल जनपद सांगली महाराष्ट्र

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 148/26 धारा 316(2), 317 (2) भा0न्या0सं0 थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

01 अदद पीली धातु का टुकड़ा (वजन 04.43 ग्राम)

गिरफ्तारी की टीम-

- 1- उ0नि0 आदित्य सिंह थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
- 2- कां0 सोनू थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
- 3- कां0प्रवीण थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर